न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....941/2021

सरकार बनाम शैलेन्द्र आदि

अंतर्गत धारा–147,148,452,307/149,323/149,336, 504, 506,427 भा०द०सं०

थाना–भोजपुर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–643/2018

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण प्रशान्त व प्रमोद को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 19.10.2018 को समय 09.00 बजे रात्रि स्थान बहद ग्राम किल्हौड़ा अंतर्गत सीमा थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधिविरूद्ध जमाव कर सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करते हुए बलवा करने के लिए अवैध समूह का निर्माण किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त अवैध समूह का निर्माण कर लाठी, डंडे, सरिया, तलवार एवं तमंचे जैसे घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–148 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आपने वादी के गांव के नरेन्द्र सिंह के घर में घुसकर उपहति कारित करने के आशय से गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–452 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में गांव के नरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, एवं विनय के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडे, सरिए से मारपीट की एवं वादी रविन्द्र सिंह के लड़के आदर्श पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया जिसकी गोली उसके बांए तरफ गाल पर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–307/149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ एकराय होकर नरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र एवं विनय को लाठी, डंडे, सरिए से मार–पीट कर चोटें पहुंचाकर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–323/149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ठमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में आप अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर गांव के उपरोक्त लोगों के साथ मारपीट कर उक्त कार्य इतने उतावलेपन या उपेक्षा से किया गया जिससे नरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, विनय एवं आदर्श के जीवन अथवा वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो सकता था। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–336 के

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.12.22 14:03:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर नरेन्द्र के घर के दरवाजे को तोड़कर रिष्टि की तथा गांव के श्रीपाल के घर के बाहर खड़ी कार सं०–DL12CM8931 एवं गांव के आकाश की मोटरसाईकिल संख्या–UP14DF7237 में लाठी डण्डों से तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया।इस प्रकार आपके द्वारा भा०द०सं० की धारा–427 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अष्टमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से नरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र व गांव के अन्य लोगों के साथ गाली गलोच देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

नवमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर नरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र व गांव के अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कायम किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के सम्बंध में आप अभियुक्तगण का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 15.12.2023

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 15.12.2023